रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1987/10 अग्रहायण, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

DEPARTMENT OF EXCISE AND TAXATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd September, 1987

No. EXN. B (2)-8/84.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Recruitment and Promotion Rules in respect of Class-II posts of Excise and Taxation Officers in the Excise and Taxation Department Himachal Pradesh notified *vide* this Department notification No. Rev. 9-354/59 dated 26th November, 1960 as amended from time to time, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Excise and Taxation Department Recruitment and Promotion for the post of Excise and Taxation Officers (1st Amendment) Rules, 1987.

(*ii*) They shall come into force at once.

2. *Substitution of existing Note with proviso's under Co.* 11.—For the existing Note along with provisos thereto below Col. 11 of the Recruitment and Promotion Rules for the post of the Excise and Taxation Officers (Class-II) in the Department of Excise and Taxation Himachal Pradesh, the following shall be substituted, namely:—

"(*i*) In all cases of promotion, *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-12-1983, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions:—

(*a*) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *ad hoc* service rendered upto 31-12-1983) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the post/category/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration."

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever, is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

"(*ii*) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered in the post upto 31-12-1983, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service.

(*iii*) *Ad hoc* service rendered after 31-12-1983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes:

Provided that *inter-se-seniority* as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service shall remain unchanged".

By order,

S. S. SIDHU,
Commissioner-cum-Secretary (*E&T*).

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 12 अगस्त, 1987

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)-6/87.—क्योंकि श्री दत्त राम, प्रधान, ग्राम पंचायत रियुर, तहसील व जिला मण्डी को ग्राम पचायत रियुर के लेखा अंकेक्षण पत्र अवधि 26-10-85 से 31-3-86 तथा स्कूल भवन सुका रियुर के निर्माण के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताओं व सभा निधि के दुरुपयोग/अपहरण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दोषी पाये गये हैं।

1. प्राथमिक पाठशाला भवन चौकि चन्द्राहण निर्माण के लिए प्राप्त अनुदान से मु0 639.43 रुपये अधिक व्यय अनाधिकृत/अनियमित रूप से कर के सभा निधि का दुरुपयोग किया गया है।

2. दिनांक 10-1-86/31-1-86 को मु0 1150/- रुपये के 4600 पत्थरों की तुड़ाई पर 25 रुपये प्रति सैंकड़ा की दर से रोकड़ पर व्यय दर्ज है जबकि उक्त दिनांक को 7 रुपये प्रति सैंकड़ा की दर से 2500 पत्थर तुड़वाकर मु0 175/- रुपये का व्यय रोकड़ पर 31-3-86 तक दर्ज है। शेष 2100 पत्थरों की तुड़ाई पर 6.25/- रुपये का अवैध व्यय रोकड़ में बिना पत्थर ढुलाये डालकर राशि का अपहरण किया गया समझा जाता है।

3. (1) दिनांक 23-7-86 को 2115/- रुपये व्यय प्राथमिक पाठशाला चौकि चन्द्राहरण निर्माण के मस्ट्रोल नं0 3 वाऊचर नं0 46 मास जनवरी, 1986 क क्रम संख्या 7 पर श्री हिदरा राम की हाजरी 10-1-86 से जबकि क्रम संख्या 8 पर श्री कश्मीर चन्द की हाजरी 1-1-86 से लगाई गई है। इसी प्रकार क्रम संख्या 9 पर रामा नन्द सुपुत्र अच्छर सिंह की हाजरी 20-1-86 से जबकि क्रम संख्या 10 पर 19-1-86 से लगा कर मु0 110/- रुपये का व्यय गलत हाजरियां दर्शाकर झूठा डाल कर राशि का अपहरण किया समझा जाता है।

(2) इसी मस्ट्रोल के क्रम 7 पर हिरदा राम व क्रम 9 पर रामा नन्द को एक-एक दिन की 10/- रुपये दैनिक दर से 20/- रुपये की अदायगी इनके प्राप्ति हस्ताक्षरों बिना दर्णा का रोकड़ पर पूरा व्यय डाल कर मु0 20/- रुपये का स्पष्ट अपहरण किया गया है।

4. क्योंकि स्कूल भवन सुका रियुर की निर्माण समिति जो पंचायत के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 12-3-86 को गठित की गई थी में से श्री वेणी माधव पंच एवं श्री लक्ष्मण दास पंच को निष्कासित करके प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 12-8-86 द्वारा नई निर्माण कमेटी का अनियमित ढंग से गठन किया गया है।

बिना न्यूनतम दरें आमन्त्रित किए स्वेच्छा से 15-6-86 से 18-6-86 तक चार ट्रक रेत, बजरी तथा 28-12-86 को पुनः एक ट्रक रेत का मु0 500/- रुपये प्रति ट्रक ढुलवाया गया जबकि इस कार्यालय में प्राप्त कुटेशनों अनुसार मु0 400/- रुपये प्रति ट्रक सुका रियुर में ढुलाई, लदवाई व उतरवाई सहित पहुंचाया जा सकता था। इस प्रकार मु0 100/- रुपये प्रति ट्रक की दर से मु0 500/- रुपये का स्पष्ट अपहरण समझा जाता है।

स्कूल भवन सुका रियुर निर्माण बारे ढोया गया रेत का एक ट्रक प्रधान द्वारा स्वेच्छा से गलत स्थान पर रखने का कारण बरसात के पानी में बह गया जिसके फलस्वरूप पंचायत को मु0 500/- रुपये की स्पष्ट क्षति पहुंचवाई है।

स्कूल भवन सुका रियुर के जून, 1986 के मस्ट्रोल पर लीला दत्त सुपुत्र श्री चमारू की हाजरी 24-6-86 को झूठी लगाई गई है क्योंकि वह व्यक्ति पंचायत कायवाही रजिस्टर पृष्ठ 43 क्रमांक 111 पर 24-6-86 को ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित रहा। झूठी हाजरी के फलस्वरूप मु0 10/- रुपय का अपहरण किया प्रतीत होता है।

श्री दत्त राम, प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा 12-2-87 से मु0 17575/- रुपये नकद शेष अपने पास रख कर इनका दुरुपयोग किया जाता रहा है। मास मार्च, 1987 के नकद बाकी विवरणानुसार 31-3-87 को भी दत्त राम प्रधान के पास मु0 1304/- रुपये नकद शेष था जो कि नियम के विपरीत है।

उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री दत्त राम, प्रधान, ग्राम पंचायत रियुर के विरुद्ध लग आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए उप-मण्डलाधिकारी

(नागरिक) मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते ह, वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश मण्डी क माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रषित करेंगे ।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव (पचायत) ।

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 1987

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)18/79.—क्योंकि श्री ब्रह्मा नन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत भराडू, विकास खण्ड द्रंग, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी के विरुद्ध समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 28-11-86 क अ तर्गत जिलाधीश मण्डी को जाच सौंपी गई थी ।

और क्योंकि जिलाधीश मण्डी ने अपने पत्र संख्या पंच मण्डी-एच0बी0-10/83-5437, दिनांक 29-8-87 द्वारा जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है जिसमें प्रधान के खिलाफ किसी तरह क गबन की बात नहीं पाई गई है ।

और क्योंकि राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के बाद जिलाधीश मण्डी के विचारों का अनुमोदन किया है ।

अत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 57 के अन्तर्गत श्री ब्रह्मा नन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत भराडू क सम संख्यक निलम्बन आदश दिनांक 4-9-86 को समाप्त करन का सहर्ष आदश देते ह ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव (पंचायत) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।